Pl. upload on lsg website 26/3/18

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स : 0141–2222403, 2222469 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 55( )अभि./सीई/डीएलबी/2018–19/बजट घोषणा/22235-458 दिनांक : 26/03/18

1. जिला कलेक्टर (समस्त),
   राजस्थान।
2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त)।

विषय : माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति बाबत।

प्रसंग : विभाग का पूर्व समसंख्यक पत्रांक : 19138–361 दिनांक 16.03.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2018–19 में की गई घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में अम्बेडकर भवनों के निर्माण, श्मशानों एवं कब्रिस्तानों में विकास कार्य तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण करवाने हेतु अल्कालीन निविदा जारी करने की स्वीकृति प्रदान करते हुये, उक्त कार्यो की दिनांक 23.03.2018 को अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर निविदा प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करते हुये दिनांक 11.04.2018 तक कार्यादेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

दिनांक 26.03.2018 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिला कलेक्टर्स के साथ आयोजित विडियो कांफ्रेंस में कुछ नगर निकायों द्वारा अभी तक निविदायें आमंत्रित नहीं करने बाबत अवगत कराया गया है।

अतः उपरोक्त कार्यो की महत्ता को देखते हुये RTPP Rules के नियम 43 में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत निविदा प्रकाशन और बोली प्रस्तुत करने की समयावधि में शिथिलता प्रदान करते हुये, निर्धारित समय को कम (10 दिवस) करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। पूर्व में निर्धारित टाईम लाईन के अनुसार निविदा प्रक्रिया सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ 55( )अभि./सीई/डीएलबी/2018–19/बजट घोषणा/22459-659 दिनांक : 26/03/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, (समस्त) राजस्थान।
05. प्रभारी, स्मार्टराज सेन्टर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधिशाषी अभियन्ता